Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made a statement regarding Government Business during the week commencing the 23rd July, 2018 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 23rd of July, 2018 will consist of:-

1. Consideration and passing of the following Bills:

(a) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017

(b) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

(c) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017.

(d) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.

(e) The Consumer Protection Bill, 2018.

(f) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018.

(g) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016.

(h) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.

(i) The National Medical Commission Bill, 2017.

(j) The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.

(k) The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018

2. Consideration and passing of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by Rajya Sabha.

3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 2 of 2018) and consideration and passing of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 after introduction.

4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (No.3 of 2018) and consideration and passing of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018 after introduction.

5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 4 of 2018) and consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 after introduction.

6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Sports University Ordinance, 2018 (No.5 of 2018) and consideration and passing of the National Sports University Bill, 2017 after introduction.

7. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance, 2018 (No.6 of 2018) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill, 2018 after introduction.

8. Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017 as returned by Rajya Sabha with amendment.

9. Consideration and passing of the Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018 after introduction.

HON. SPEAKER: The submissions by hon. Members may be laid on the Table.

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में हृदय रोग से मरने वाले मरीजों की संख्या के मुकाबले भारत में इसकी तादात कहीं ज्यादा है । 1990 से 2016 तक जनसँख्या को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका में इस रोग से होने वाली मृत्यु दर 41 प्रतिशत में घटी है जबकि भारत में इस से होने वाली मृत्यु दर 34 प्रतिशत बढ़ी है । जो कि काफी गंभीर विषय है। इसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार को गंभीरता से स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ठोस स्वास्थ्य योजना बनाकर एवं जनसंख्या वृद्धि दर पर रोकथाम की भी योजना बनानी चाहिए । ऐसी मेरी सरकार से आशा है । वर्तमान में बैंकों के बढ़ते एनपीए के कारण बैंकों के कारण बैंकों में पूर्व कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, यदि नहीं तो कई पे कमीशन आने के पश्चात भी इनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है। इनके पेंशन का रिविजन कराया जाना अति आवश्यक है । ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूं।

*SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Crisis in Cashew Industry due to the imposition of customs duty and necessity of a comprehensive package for the revival of the Cashew Industry.

Waiver of Road and infrastructure cess for diesel used by mechanised fishing vessels for fishing.

*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये-

देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी उनकी लागत लगती है। जो फसल तैयार होता है, तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता । एमएसपी तो सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गई है । शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है । अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दिया जाये।

पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश भर में 55 से 58 प्रतिशत है । सैसे ही हमारी खेती मौसम पर आधारित है, जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है। विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं । कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करता था, परंतु जब तो मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चलता है । क्योंकि सरकार पूरा फण्ड ही नहीं दे रही है । बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और ही खराब है । अत: केन्द्र सरकार कृषि-श्रमिकों को पेंशन के तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे ।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** मेरे संसदीय क्षेत्र के निम्न महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने की कृपा करें-

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कम बारिश के कारण जनपद चित्रकूट तथा बाँदा में बहुत ही विषम हालात हैं। कृपया वहाँ पर सूखे की स्थिति पर सदन में चर्चा कराकर राहत के समुचित उपाय किए जाँए। एवं वहाँ कृत्रिम बारिश करायी जाए और दैवी आपदा वाला क्षेत्र घोषित किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत जनपद चित्रकूट के ओहन तथा बरूबा बाँधों में सिल्ट जमा होने से पर्याप्त जब नहीं इकट्ठा हो पाता है । अस्तु किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जब नहीं मिलता है। अत: इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कराकर इन दोनों बाँधों को गहरा कराने के उपाय किए जाँए।

***श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें

मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा हेतु कोई उपयुक्त साधन न होने के कारण एक केंद्रीय विद्यालय उक्त क्षेत्र में खोले जाने की महती आवश्यकता है ।

जनपद कानपुर नगर के सेन्ट्रल स्टेशन पर जनदबाव को देखते हुए पनकी स्टेशन में गाड़ी सं0 12307/12308 जोधपुर-हावड़ा का ठहराव किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है

एवं जनपद कानपुर देहात के पतरा हाल्ट स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों, गाड़ी संख्या 64587/64588 एवं 64159/64162 का ठहराव किया जाए।

***श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :-

संविधान की धारा 21-ए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाती है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब साढ़े चार करोड़ बच्चों को शिक्षा के स्तर को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर विचार किया जाए।

गृह मंत्रालय ने पूरे देश के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैंकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम कार्यान्वित की है जिससे अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है, परंतु अभियोजन के स्तर पर प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं । अत: अभियोजन न्यायालयों में प्रदर्शन तथा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में पैरोकारी सशक्त किए जाने पर विचार किया जाए।